2

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा – 57/2013

तारीख रजू – 12.12.2013

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

1.श्रीमति गीता देवी उम्र 40 वर्ष पत्नि डूँगरमल जाति मीना

2.श्रीमति कमलेश कुमारी उम्र 35 वर्ष पत्नि महेशचंद जाति मीना

समस्त निवासी सैमला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

– वादीयागण

विरूद्ध

1.ख्यालबाई पत्नि बनवारीलाल जाति मीना निवासी सैमला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

2.मुन्शी पुत्र दिलसुख

3.छोटेलाल पुत्र दिलसुख

4.दीपराम पुत्र दिलसुख

5.घीस्या पुत्र हरचंद

6.भागवती बेवा दिलसुख

समस्त जाति मीना निवासी माधोपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

7.तहसीलदारजी तहसील टोडाभीम

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् डिविजन आफ होल्डिंग

व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट –वादीगण

प्रतिवादीगण एकतरफा

निर्णय दिनांक 18.12.2015

संक्षेप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। यह वादपत्र दिनांक 30.10.2015 को फाईनल डिग्रि हो चुका था। तहसीलदार टोडाभीम ने वरवक्त इजराय पालना अवगत कराया कि सहखातेदार

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

8

भागवती बेबा दिलसुख जो कि खसरा नं0 542 मे उनका 1/16 हिस्सा है, पक्षकार नही बनाया गया है तथा यह खसरा नं0 बटवारा अनुसार वादीगण के हक मे दिया गया है किन्तु भागवती का 1/16 हिस्सा के बारे मे निर्णय पारित नही हुआ है। मार्गदर्शन चाहा गया तथा मार्गदर्शन के साथ मे हॉल ट्रेस की नकल भी भेजी गई है जिसमे खसरा नं0 542 का हिस्सा 1/16 की भूमि ट्रेस मे भागवती की दर्शायी गई है वकिया भूमि वादीगण की दर्शायी गई है। वकील वादी ने भी अपनी त्रुटि मानते हुये पुनः संशोधित वादपत्र पेश कर भागवती को पक्षकार बनाया गया। सम्मन जारी कर बाबजूद तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा उनके पत्र द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के साथ साथ पुनः प्रस्तावित बटवारा स्कीम व ट्रेस के अनुसार वादीगण का दावा मे संशोधित निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होने से पुनः निर्णय इस प्रकार किया जाता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् डिविजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा (पाबंदी) फाईनल डिग्रि किया जाकर वादीगण गीता देवी व कमलेश कुमारी को ग्राम माधोपुरा तहसील टोडाभीम के खसरा नं0 542 रकवा 2.16 हेक्टयर मे हिस्सा 15/16 एवं खसरा नं0 544 रकवा 0.62 हेक्टयर मे हिस्सा 25/62 तथा 543 रकवा 1.61 हेक्टयर का सम्पूर्ण रकवे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण ख्यालबाई को खसरा नं0 546 रकवा 0.75 हेक्टयर मे हिस्सा 1/4 प्रतिवादी दीपराम, मुंशी, छोटेलाल को खसरा नं0 546 रकवा 0.75 हेक्टयर मे से हिस्सा 3/8 वहिस्सा बराबर तथा खसरा नं0 541 रकवा 1.50 हेक्टयर, खसरा नं0 545 रकवा 1.14 हेक्टयर मे से हिस्सा 1/2 वहिस्सा बराबर तथा खसरा नं0 544 रकवा 0.62 मे से हिस्सा 37/124 वहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी घीस्या को खसरा नं0 546 रकवा 0.75 हेक्टयर मे से हिस्सा 3/8, खसरा नं0 541 रकवा 1.50 हेक्टयर, खसरा नं0 545 रकवा 1.14 हेक्टयर मे से हिस्सा 1/2 तथा खसरा नं0 544 रकवा 0.62 मे से हिस्सा 37/124 का तथा प्रतिवादी भागवती बेबा दिलसुख खसरा नं0 542 रकवा 2.16 हेक्टयर हिस्सा 1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। पुनः प्रेषित नक्शा ट्रेस दावा निर्णय का भाग रहेगा तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त भूमि कब्जे काश्त मे मजामत मदालखत नही करे। फाईनल पर्चा डिग्रि जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु भेजी जावे।

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निर्णय आज दिनांक 18.12.2015 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner